समाचार पत्रों की कतरनें

अगस्त 2024

सड़क हादसों में कमी लाना है प्राथमिकता : संदीप धवल

हिमाचल दस्तक ब्यूरो ▮ बिलासपुर

बिलासपुर जिले में युवाओं को चिट्टे जैसे नशे से बचाने के लिए पुलिस द्वारा प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। वर्तमान समय में अधिकतर युवा नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं इनको नशे से बाहर निकालना जरूरी हैं। यह बात बुधवार को नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक संदीप धवल ने कार्यभार संभालने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि यदि इस तरह के मामलों में किसी पुलिस कर्मचारी या अधिकारी की संलिप्ता पाई जाएगी तो उस पुलिस कर्मचारी अधिकारी के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही जिले में बढ़ रही आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एसपी संदीप धवल ने कहा कि विभिन्न सड़क हादसों के अधिकतर मामलों में युवा काल का ग्रास बन रहे हैं। इसलिए उनकी दूसरी प्राथमिकता सड़क हादसों में कमी लाना है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में अधिकतर लोग ऑनलाईन ठगी के शिकार हो रहे। इस तरह के मामलों को रोकने के लिए साइबर सैल को पहले से अधिक मजबूत किया जाएगा। साइबर सैल में तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर पूरी तरह दक्ष किया जाएगा ताकि साइबर सैल सही तरीके से साइबर अपराध से जुड़े मामलों को सुलझा सके। उन्होंने लोगों से भी आग्रह किया है कि जब किसी के साथ साइबर अपराध से जुड़ी घटना घटित हो तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। पुलिस लोगों के सहयोग से यायायात व्यवस्था को भी सुधारने का प्रयास करेगी।

हिमाचल दस्तक, दिनांक–1 अगस्त 2024
पेज न0–07, कालम–3,4

सड़क सुरक्षा का वार्षिक एक्शन प्लान मंजूर

साल में 23 करोड़ 92 लाख रुपए खर्च करेगी प्रदेश सरकार

चीफ रिपोर्टर – शिमला

सड़क सुरक्षा के लिए इस साल का एक्शन प्लान मंजूर हो गया है। इसके तहत प्रदेश सरकार सड़क सुरक्षा जागरूकता पर 23 करोड़ 92 लाख रुपए का बजट खर्च करेगी। यह बजट लगभग पिछले साल के बराबर ही है, जिससे परिवहन विभाग, पुलिस महकमा, स्वास्थ्य, लोक निर्माण व शिक्षा विभाग सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाएंगे। काफी समय से एक्शन प्लान की मंजूरी का इंतजार किया जा रहा था, जिसके लिए सोमवार को मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस बैठक में परिवहन विभाग के रोड सेफ्टी सेल से जुड़े अधिकारी मौजूद थे, जिन्होंने पिछले साल से अब तक किए गए कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। यहां बैठक में बताया गया कि एक साल में सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 14 फीसदी की कमी दर्ज की गई है। सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने से काफी ज्यादा लाभ हो रहा है। बताया जा रहा है कि सड़क पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती करने से लगभग 28 करोड़ रुपए का चालान वसूला गया है। नियमों को लेकर परिवहन विभाग सख्त है। दुर्घटनाओं में कमी के लिए आगे किस तरह से काम करना है, इसको लेकर बैठक में चर्चा की गई और मुख्य सचिव ने भी कई निर्देश दिए हैं। बैठक में परिवहन विभाग के निदेशक डीसी नेगी व अन्य अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने सड़क सुरक्षा के आंकड़ों को लेकर पूरी प्रेजेंटेशन दी, वहीं बताया गया कि ब्लैक स्पॉट पर काम पूरा कर लिया गया है, मगर अभी तक सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने नई सूची जारी नहीं की है। इस सूची का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद लोक निर्माण विभाग इन ब्लैक स्पॉट को दूर करने के लिए काम करेगा।

पंजाब केसरी, दिनांक–6 अगस्त 2024
पेज न0–03, कालम–3,4,5

ऊना में अवैध टैक्सी और ऑटो के खिलाफ बुलंद की आवाज

हिमाचल दस्तक ▮ ऊना

▮ एक मंच पर आए प्राइवेट बस टैक्सी और ऑटो ऑपरेटर्स

प्रदेश में मोबाइल ऐप के माध्यम से चल रही यातायात ऐप बला-बला और गैर पंजीकृत ऑटो रिक्शा को लेकर बड़ा बवाल खड़ा होता दिखाई दे रहा है। सोमवार को ऊना जिला मुख्यालय के आईएसबीटी में निजी बस, टैक्सी और ऑटो ऑपरेटरों ने संयुक्त बैठक करते हुए इस मोबाइल ऐप के साथ-साथ बिना टैक्स अदा किया चलने वाले सभी ऑटो रिक्शा का विरोध किया।

बैठक की अध्यक्षता निजी बस ऑपरेटर्स यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राजेश पराशर ने की, जबकि जिला अध्यक्ष महेंद्र मनकोटिया सहित टैक्सी और ऑटो ऑपरेटर यूनियन के लोग भी मौजूद रहे। यूनियन ने सीधे और स्पष्ट शब्दों में मोबाइल ऐप बला-बला ऐप के माध्यम से हो रहे राजस्व नुकसान का मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जल्द इस मोबाइल एप्लीकेशन के अवैध धंधे को बंद करने के साथ-साथ गैर पंजीकृत ऑटो रिक्शा पर भी नकेल कसी जाए। निजी बस ऑपरेटर्स यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राजेश पराशर ने कहा कि मोबाइल एप्लीकेशन बला-बला के कारण निजी बस ऑपरेटर ही नहीं, बल्कि टैक्सी ऑपरेटरों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। एप्लीकेशन के माध्यम से कोई भी व्यक्ति पैसे लेकर सवारियों को ढोने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस मोबाइल एप्लीकेशन के कारोबार के कारण सरकार को प्रतिवर्ष लाखों रुपए का टैक्स अदा करने वाले प्राइवेट बस ऑपरेटर नुकसान उठाने को मजबूर हो चुके हैं, जबकि दिल्ली तक टैक्सी लेकर जाने वाले लोग भी अब कम किराए में इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से भारी रिस्क उठाकर जाने लगे हैं। उन्होंने कहा कि जिला भर में पंजाब नंबर के ऐसे कई ऑटो रिक्शा भी चलाये जा रहे हैं, जिनके यहां पर पंजीकरण ही नहीं है। इन ऑटो संचालकों की गुंडागर्दी ऐसी है कि लोकल रूट पर चलने वाली बस के चालक परिचालक को भी यात्रियों को बिठाने से मना करने लगे हैं। जिसका खामियाजा टैक्स अदा करके ऑटो का संचालन करने वाले लोगों को भुगतना पड़ रहा है।

हिमाचल दस्तक, दिनांक–6 अगस्त 2024
पेज न0–10, कालम–1,2,3

सड़क सुरक्षा सभी की सामूहिक जिम्मेदारी : नेगी

संवाद सहयोगी, जागरण ● चंबा : सड़क सुरक्षा सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। सड़क हादसों को कम करने में समाज के सभी लोगों की भागीदारी होना बेहद जरूरी है। जिले में सड़क हादसों को कम करने तथा सड़क पर स्वयं एवं दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वाहन चालकों को सख्ती से यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। वाहन चलाते समय सभी को यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। थोड़ी सी लापरवाही के कारण लोगों की जान चली जाती है। शराब पीकर वाहन किसी भी हाल में न चलाएं।

यह बात परिवहन विभाग के निदेशक डीसी नेगी ने कही। परिवहन विभाग चंबा की ओर से आरटीओ कार्यालय में सोमवार को जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता परिवहन विभाग के निदेशक डीसी नेगी ने की। इस दौरान विभाग के उपनिदेशक ओंकार सिंह और क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी चंबा राम प्रकाश भी विशेष रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम में निदेशक डीसी नेगी ने वाहन चालकों को यातायात नियम बताए।

आरटीओ कार्यालय चंबा में आयोजित कार्यक्रम में जागरूक करते परिवहन विभाग के निदेशक डीसी नेगी व उपनिदेशक ओंकार सिंह ● जागरण

दैनिक जागरण, 13 अगस्त 2024

चंबा में ड्राइवरों को बताए यातायात नियम

परिवहन विभाग की ओर आरटीओ कार्यालय में जागरूकता कार्यक्रम, निदेशक डीसी नेगी ने की शिरकत

दिव्य हिमाचल ब्यूरो-चंबा

परिवहन विभाग की ओर आरटीओ कार्यालय चंबा में सोमवार को जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता परिवहन विभाग के निदेशक डीसी नेगी ने की। इस दौरान विभाग के उपनिदेशक ओंकार सिंह और क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी चंबा राम प्रकाश भी विशेष रूप से मौजूद रहे। इस दौरान निदेशक डीसी नेगी ने वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। सड़क हादसों को कम करने में समाज के सभी लोगों की भागीदारी होना बेहद जरूरी है। जिला में सड़क हादसों को कम करने तथा सड़क पर स्वयं एवं दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वाहन चालकों को सख्ती से यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। वाहन चलाते समय सभी को यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि शराब पीकर वाहन किसी भी हाल में न चलाएं। कई बार दुर्घटनाएं गलत तरीके से ओवरटेक करने के कारण होते हैं। दो पहिया वाहन चालक हेलमेट अवश्य लगाएं। साथ ही चार पहिया वाहन चालक सुरक्षा के दृष्टिगत सीट बेल्ट अनिवार्य रूप से लगाएं। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन पर बात न करें। उन्होंने कहा कि जिला चंबा की भौगौलिक परिस्थितियों के मद्देनजर यहां वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। उन्होंने वाहन स्वामियों से समय-समय पर चालकों के स्वास्थ्य की जांच करवाने को भी कहा। इस दौरान उपनिदेशक ओंकार सिंह ने वाहन चालकों को गुड समेरिटन नियम के बारे में भी जागरूक किया। उन्होंने चालकों से यातायात नियमों की किसी भी सूरत में अनदेखी न करने को भी कहा। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों में जागरूकता होने से दुर्घटनाओं में निसंदेह कमी आई है। इस मौके पर आरटीओ कार्यालय के स्टाफ सहित भारी संख्या में चालक मौजूद रहे।

सड़क हादसों को रोकने में समाज के सभी लोगों की भागीदारी बेहद जरूरी : नेगी

परिवहन विभाग के निदेशक डी.सी. नेगी ने आर.टी.ओ. कार्यालय में जागरूक किए वाहन चालक

चम्बा, 12 अगस्त (रणवीर): जिले में सड़क हादसों को कम करने तथा सड़क पर स्वयं एवं दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वाहन चालकों को सख्ती से यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। थोड़ी सी लापरवाही के कारण लोगों की जान चली जाती है।

सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए समाज के सभी लोगों की भागीदारी होना बेहद जरूरी है। यह बात परिवहन विभाग के निदेशक डी.सी. नेगी ने आर.टी.ओ. कार्यालय में सोमवार को जागरूकता कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कही। इस दौरान विभाग के उपनिदेशक ओंकार सिंह और क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी चम्बा राम प्रकाश भी विशेष रूप से मौजूद रहे।

कार्यक्रम में निदेशक डी.सी. नेगी ने वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि शराब पीकर वाहन किसी भी हाल में न चलाएं। कई बार दुर्घटनाएं गलत तरीके से ओवरटेक करने के कारण होती हैं।

दोपहिया वाहन चालक हैलमेट अवश्य लगाएं। साथ ही चौपहिया वाहन चालक सुरक्षा के दृष्टिगत सीट बैल्ट अनिवार्य रूप से लगाएं। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन पर बात न करें। उन्होंने कहा कि जिला चम्बा की भौगौलिक परिस्थितियों के मद्देनजर यहां वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। उन्होंने वाहन स्वामियों से समय- समय पर चालकों के स्वास्थ्य की जांच करवाने को भी कहा। उन्होंने चालकों से यातायात नियमों की किसी भी सूरत में अनदेखी न करने को भी कहा। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों में जागरूकता होने से दुर्घटनाओं में निसंदेह कमी आई है। परिवहन विभाग और पुलिस द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं। इस मौके पर आर.टी.ओ. कार्यालय के स्टाफ सहित भारी संख्या में चालक मौजूद रहे।

चम्बा: परिवहन विभाग के कार्यालय बालू में जागरूकता कार्यक्रम के दौरान जानकारी देते हुए निदेशक डी.सी. नेगी व उपनिदेशक ओंकार सिंह। (रणवीर)

13 अगस्त 2024

चंबा में परिवहन विभाग के निदेशक का स्वागत

डलहौजी। चंबा निजी बस मालिकों ने पथ परिवहन विभाग के निदेशक डीसी नेगी का चंबा पहुंचने पर स्वागत किया। सड़क सुरक्षा के उपनिदेशक ओंकार बोधवाल ने सड़क सुरक्षा जागरण को लेकर कार्यशाला लगाई। जिसमें उन्होंने सड़क सुरक्षा जागरूक के बारे में सभी को जागरूक किया। उन्होंने बताया कि सड़क सुरक्षा अभियान में हमें किस प्रकार से बचाव के लिए कार्य करने चाहिए। वहीं परिवहन विभाग के निर्देशक डीसी नेगी ने निजी बस ऑपरेटर के लिए नए रूट लॉटरी सिस्टम के रूप में निकाले। नए रूट के लिए 37 पर्चियों के नाम डाले गए, जिसमें एक रूट लॉटरी सिस्टम चयन किया गया। बाकी ऑपरेटर द्वारा किसी के किलोमीटर बढ़ाने और कई अपने रोड की कटौती के लिए आवेदन दिए।

हिमाचल दस्तक, दिनांक–13 अगस्त 2024
पेज न0 01, कालम.–01

वाहन मालिक 16 अगस्त तक कर सकेंगे परमिट के लिए आवेदन

संवाद न्यूज एजेंसी

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण नालागढ़ में बैठक 17 सितंबर को होगी

नालागढ़(सोलन)। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण नालागढ़ की बैठक 17 सितंबर को सुबह 11:30 बजे को क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय नालागढ़ में निर्धारित की गई है। इसमें सभी वाहन मालिकों व संबंधित आवेदकों को जिनके आवेदन पर प्राधिकरण की ओर से निर्णय लिया जाना है वे अपना आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेजों सहित आरटीओ कार्यालय में 16 अगस्त सायं 5:00 बजे तक प्रस्तुत कर सकेंगे। उसके बाद प्राप्त आवेदनों अथवा अपूर्ण आवेदनों को इस बैठक में शामिल नहीं किया जाएगा।

आरटीओ मदन शर्मा ने बताया कि बस परमिट व अन्य परमिटों के ट्रांसफर से संबंधित मामलों में दोनों पार्टियों का क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य होगा अन्यथा मामले में कोई भी निर्णय नहीं लिया जाएगा। नए प्रकाशित स्टेज कैरिज बस परमिटों के संबंध में प्राप्त आवेदनों के बारे में ड्रॉ ऑफ लॉट्स के दौरान आवेदक या उसकी ओर से अधिकृत व्यक्ति यदि उपस्थित नहीं होता है तो भी उसका आवेदन ड्रॉ ऑफ लॉट्स में शामिल किया जाएगा। उन्होंने इस संबंध में ट्रक यूनियन नालागढ़ को भी पत्र लिख कर अवगत करा दिया है।

अमर उजाला, दिनांक 15 अगस्त 2024
पेज न0– 19, कालम– 3,4

कार हादसे लील रहे सबसे ज्यादा जानें

हिमाचल प्रदेश में वाहनों की बढ़ती संख्या के साथ बढ़ रहा दुर्घटनाओं का ग्राफ

जयदीप रिहान-पालमपुर

खास खबर

प्रदेश में कारों की बढ़ती संख्या के साथ कार दुर्घटनाओं का ग्राफ भी चिंताजनक तौर से बढ़ रहा है। प्रदेश में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वालों में सबसे अधिक संख्या भी कार सवारों या कारों से टकराने वालों की है। साल 2022 में सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाने वाले 979 लोगों में से लगभग 72 फीसदी की मौत कार व दोपहिया वाहन हादसे में होना निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल बनकर उभरा है। अपने शौक व आराम के लिए खरीदे जाने वाले वाहन लापरवाही से चलाने के कारण मौत का कारण बन रहे हैं। प्रदेश की सर्पीली सड़कों पर कम अनुभवी चालक और यातायात नियमों का पालन न करना लोगों पर भारी पड़ रहा है। वहीं लापरवाही और नशे की हालत में वाहन चलाना हादसों का बड़ा कारण है। राष्ट्रीय स्तर पर जारी सड़क हादसों के आंकड़े बताते हैं कि 2022 में प्रदेश में कार एक्सीडेंट में मरने वालों की तादाद 473 थी, जो कि कुल संख्या का करीब 48 फीसदी है। वहीं सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाली सूची में सरपट भागते दोपहिया वाहन चालक दूसरे नंबर पर हैं। स्कूटर व बाइक की दुर्घटनाओं में कुल 240 यानि 25 प्रतिशत लोगों ने जान गंवाई। वर्ष 2022 में ट्रक दुर्घटनाओं में 121, बस हादसों में 41, ट्रैक्टर दुर्घटनाओं में 21 व थ्री व्हीलर में 17 लोगों को जान गंवानी पड़ी। दोपहिया वाहन चालकों की तेज रफ्तार व हेल्मेट न पहनना मौत का कारण बना। -एचडीएम

- सड़कों पर तेज रफ्तार दौड़ रहे टू-व्हीलर भी बन रहे हादसों का सबब

सालाना एक हजार से ज्यादा मौतें

2011 से 2019 तक प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों का आंकड़ा एक हजार से अधिक रहा है। 2020 में प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं का आंकड़ा 2236 रहा था, जिसमें 866 लोगों की जान चली गई और 3197 घायल हुए। वहीं 2021 में प्रदेश में 2408 सड़क हादसों में 1014 लोगों की जान गई और घायलों का आंकड़ा 3446 रहा। 2022 में प्रदेश में 2484 सड़क हादसों में 979 लोगों की जान चली गई, जबकि 3891 घायल हुए। वहीं इस दौरान देश भर में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या 472467 रही, जिसमें 194347 लोगों की मौत हुई, जबकि 425727 घायल हुए।

दिव्य हिमाचल, दिनांक 15 अगस्त 2024
पेज न0—10, कालम—4,5,6

हिमाचल ने अपने फोरलेन पर 60 की स्पीड को कहा ओके

'दिव्य हिमाचल' के सर्वे में 63 प्रतिशत लोग फैसले की सपोर्ट में, 33 फीसदी ने स्पीड लिमिट बढ़ाने की गुंजाइश भी जताई

हैडक्वार्टर ब्यूरो – मटौर

हिमाचल में एनएच के बाद फोरलेन पर भी 60 किमी. प्रति घंटा की गति सीमा तय की गई है। एनएच के मुकाबले फोरलेन ज्यादातर सीधे और खुले हैं। ऐसे में क्या हिमाचल के फोरलेन पर 60 किमी. प्रति घंटा की गति सीमा सही है? यह सवाल इन दिनों हर किसी के मन में है, जिसका जवाब तलाशने के लिए अग्रणी मीडिया हाउस 'दिव्य हिमाचल' ने साप्ताहिक सर्वे में जनता से राय मांगी। इस पर 63 प्रतिशत (2511) लोगों ने इस बात का सपोर्ट किया है कि प्रदेश में फोरलेन पर स्पीड लिमिट 60 किमी प्रतिघंटा होनी चाहिए। हालांकि सर्वे में 35 परसेंट लोगों (1274)ने फोरलेन पर 60 किमी से ज्यादा स्पीड लिमिट की पैरवी की। दो फीसदी (78) लोगों ने हमेशा की तरह पता नहीं करके सवाल खारिज कर दिया। सर्वे में कुल 3863 लोगों ने भाग लिया। इसमें यूट्यूब पर सबसे ज्यादा 2700 यूजर्स ने वोट किया, जबकि फेसबुक और लोकप्रिय वेबसाइट दिव्य हिमाचल डॉट कॉम पर भी 1100 से ज्यादा लोगों ने अपनी राय दी। सर्वे में कई लोगों ने प्रदेश की सर्पीली सड़कों का हवाला देकर स्पीड लिमिट को 60 किमी प्रति घंटा सही बताया, तो कइयों ने फोरलेन पर 80 और किमी तक का सुझाव दिया। कुल मिलाकर सर्वे का निचोड़ यह निकला कि हिमाचल 60 किमी प्रति घंटा की स्पीड से फोरलेन पर लॉब ड्राइविंग के लिए तैयार है।

80 किलोमीटर प्रति घंटा का सुझाव

बिग डैडी, अमित, महेंद्र, अनुज जैसे कई यूजर ने लिखा कि फोरलेन पर स्पीड लिमिट 80 किमी प्रतिघंटा होनी चाहिए। बशीर ने 90 से 100 किमी का सुझाव दिया। नरेश, संजीव, मनोज, टिंकू ने 60 किमी को बिलकुल सही बताया।

प्रदेश के शहरों में अलग-अलग स्पीड

राजधानी शिमला में शील्ड रोड पर 20 तो सर्कुलर रोड पर 40 किलोमीटर प्रतिघंटा स्पीड तय की है। धर्मशाला शहर में कालेज रोड पर स्पीड लिमिट 20 किमी प्रतिघंटा है। प्रदेश की ज्यादातर खुली सड़कों पर 60 किमी की लिमिट है। दूसरी ओर देश में एक्सप्रेस हाईवे पर 120 किमी प्रतिघंटा तक भी स्पीड लिमिट है।

दिव्य हिमाचल
divyahimachal.com सर्वे

जनता की खातिर हैं नियम

एएसपी कांगड़ा हितेश लखनपाल कहते हैं कि ट्रैफिक रूल्ज जनता की सुरक्षा के लिए हैं। भौगोलिक हालात और सेफ्टी को देखते हुए अलग-अलग लिमिट है। एमवी एक्ट 199-ए के तहत 18 साल से कम आयु में ड्राइविंग पर संबंधित गाड़ी की आरसी कैंसिल होगी और 25 साल तक उस चालक का लाइसेंस नहीं बन सकता।

आप भी लें सर्वे में हिस्सा

प्रदेश का अग्रणी मीडिया हाउस 'दिव्य हिमाचल' हर सप्ताह प्रदेश के ज्वलंत मसले पर जनता की राय जानता है। इसके तहत दिव्य हिमाचल अखबार के प्रथम पन्ने पर सवाल देख सकते हैं। वेबसाइट दिव्यहिमाचलडॉटकॉम, यूटयूब व फेसबुक पेज पर जहां यह सवाल डिस्पले होता है, वहां अपनी राय दे सकते हैं। आप दिव्य हिमाचल के इन प्लेटफार्म पर खुलकर अपना पक्ष रख सकते हैं। ..तो अगर आप भी इस सर्वे में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो अभी दिव्य हिमाचल के उपरोक्त माध्यमों से जुड़कर अपना कमेंट दें।

दिव्य हिमाचल, दिनांक 19.08.2024
पेज न0—02 कालम—2,3,4,5,6

लापरवाही-ओवर स्पीड से 'लाल' हो रही सड़कें

प्रदेश में दुर्घटनाओं के आधे से अधिक मामलों में लापरवाही भी बड़ा कारण

कार्यालय संवाददाता-पालमपुर

लापरवाही और तेज रफ्तारी का जुनून प्रदेश में अधिकतर सड़क दुर्घटनाओं का सबब बन रहा है। आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में पेश आने वाले कुल हादसों में 90 प्रतिशत से ज्यादा लापरवाही से वाहन चलाने और ओवर स्पीडिंग के कारण हो रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जारी सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों के अनुसार 2022 में प्रदेश में 2484 सड़क दुर्घटनाओं में 979 लोगों की जान गई और 3891 घायल हुए। इन हादसों में 1486 यानी करीब 60 प्रतिशत का कारण खतरनाक व लापरवाही से वाहन चलाना और गलत तरीके से ओवर टेकिंग करना रहा। इन 1486 हादसों में 537 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2113 घायल हुए। सड़क हादसों का दूसरा बड़ा कारण तेज रफ्तार से वाहन चलाना रहा। ऐसे 766 हादसों ने 339 लोगों की जान लील ली और 1389 घायल हुए। कुल हादसों में 90 फीसदी से अधिक में यही दो कारण मुख्य रूप से सामने आए। प्रदेश में सड़कों की खस्ताहालत भी दुर्घटनाओं का सबब बनी और इस कारण 29 सड़क हादसे पेश आए, जिसमें 18 व्यक्ति की जान चली गई और 41 लोग घायल हुए। गौर रहे कि वाहन चलाते समय नियमों का पालन करने और सही स्पीड पर वाहन चलाने के साथ दोपहिया वाहनों में हेल्मेट का प्रयोग करने को लेकर लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। इसके बावजूद जहां खासकर युवा वर्ग तेज गति से वाहन दौड़ाने का क्रेज पाल रहा है, वहीं नशे का प्रयोग करने के बाद खतरनाक तरीके से वाहन चलाने से भी चालक गुरेज नहीं कर रहे। चालक के नशे में होने से 38 सड़क हादसे पेश आए, जिनमें 30 लोगों की मौत हो गई और 65 घायल हुए। 34 दुर्घटनाओं का कारण वाहन में तकनीकी खराबी रहा, जिसमें 43 लोगों की मौत हुई और 34 घायल हुए।

आवारा पशुओं से बढ़े हादसे

खराब मौसम के कारण 17 सड़क हादसे पेश आए, जिनमें नौ लोगों की जान चली गई और 107 लोग घायल हुए। वहीं सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं से टकराने से 25 सड़क हादसे में सात लोगों की मौत हुई और 31 घायल हुए। सड़क के किनारे खड़े वाहनों से टकराने से 13 हादसे पेश आए, जिसमें चार लोगों की जान गई और 23 को चोटें आईं।

- तेज रफ्तार वाहन चालक भी दे रहे हादसों को न्योता

दिव्य हिमाचल, दिनांक 19.08.2024
पेज न0–03 कालम–1,2,3,4

सड़क दुर्घटनाएं 13, मृत्यु दर 14.6 प्रतिशत घटी : मुकेश

अमर उजाला ब्यूरो

शिमला। हिमाचल में सड़क दुर्घटनाओं में 13 प्रतिशत, जबकि सड़क हादसों में होने वाली मृत्यु दर में 14.6 प्रतिशत की कमी आई है।

शनिवार को हिमाचल परिवहन

विकास एवं सड़क सुरक्षा परिषद की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने यह जानकारी दी। बैठक में सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा के अलावा वर्ष 2024-25 की कार्य योजना पर चर्चा की गई।

मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि वर्ष 2024-25 में सड़क सुरक्षा के अंतर्गत 23.92 करोड़ रुपये की राशि परिवहन, पुलिस, स्वास्थ्य, शिक्षा, लोक निर्माण विभाग की ओर से विभिन्न कार्यों पर खर्च की जा रही है। उन्होंने निर्देश दिए कि सड़क सुरक्षा के तहत चल रहे कार्यों की नियमित निगरानी और समीक्षा की जाए। उपमुख्यमंत्री ने प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों विशेष कर पांवटा साहिब से ऊना में अवैध गतिविधियों पर निगरानी के लिए चरणबद्ध तरीके से सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए। बैठक में सर्वोच्च न्यायालय की ओर से सड़क सुरक्षा समिति के अधिनियम व नियम तैयार करने के लिए जारी आदेशों के बारे में भी अवगत करवाया गया। उपमुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सड़क सुरक्षा अधिनियम तैयार किए जाएं और आवश्यकतानुसार प्रस्ताव लाया जाए। उपमुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि शिमला शहर में ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के उद्देश्य से 'नो हॉर्न' अभियान चलाया जाए व पूरे प्रदेश में भी 'नो हॉर्न' जागरुकता पुस्तिकाएं बांटी जाएं।

पांवटा साहिब, ऊना के अलावा प्रदेश के सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे

शिमला शहर में चलाया जाएगा 'नो हॉर्न' अभियान, जागरुकता पुस्तिकाएं भी बांटी जाएंगी

अमर उजाला, दिनांक 25 अगस्त 2024
पेज न0.09, कालम–3,4

Deputy CM emphasizes on complete restriction of Pressure horns

August 24, 2024 07:17 PM

SHIMLA,24.08.24-The state government is going to launch a special campaign against the prohibited pressure horns creating noise pollution. The Transport department along-with the Police and Environment department will jointly conduct the campaign.

This was stated by the Deputy Chief Minister Mukesh Agnihotri while presiding over the 4th meeting of the H.P. State Transport Development and Road Safety Council, here today.

He said that campaigns and initiatives needs to be launched to create awareness about the effects of the noise pollution which also can lead to various health issues adding that the education department can play a pivotal role in creating mass awareness. He also directed that a "No Horn" campaign should be launched in Shimla city to control noise pollution and that "No Horn" awareness booklets should be distributed throughout the state.

The Deputy Chief Minister directed that all stakeholder departments should take the road safety activities seriously and ensure regular monitoring/review at their level. He also suggested that surveillance cameras should be installed in a phased manner at border areas, especially from Paonta Sahib to Una to monitor and prevent illegal activities related to road safety.

He informed about preparation of the Road Safety Act and Rules to strengthen road safety. He directed that the Road Safety Act should be prepared and proposals should be sent as needed. He also emphasized on strengthening Road Safety Cell.

Discussing the annual action plan for the financial year 2024-25 as per the directions of the Supreme Court the proposals and activities to be included into the action plan has been taken from all the 12 districts Road Safety Committees and were sent to Head of the Departments (HoDs) of respective stakeholder departments viz: Police, Transport, Health, Public Works and Education for compilation. The State Level Managing Committee has accorded in principle approval of Rs 2393 crore lakh with the directions to revise the plan as per the priority and mandate of the Supreme Court Committee on Road Safety (SCCoRS).

Directing for conducting the meeting at least twice in a year, Shri Agnihotri pointed out that steps should be taken to make certification system for fitness of motor vehicles fully automatic and effective. He said the steps needs to be taken rectify all the spots and the senior officers of the council should also go on the spots where repeated accidents take place so as to analyze the exact cause of mishap.

Mukesh Agnihotri said Himachal Pradesh has witnessed reduction in road accidents by 13 percent and fatalities by 14.6 percent respectively during the year 2023 in comparison to 2022. From 1 January till 31 July this year there was 7.7 percent reduction in road accidents, 17.3 percent reduction in deaths and 1.4 percent reduction in injuries.

The district prone to major accidents as per tabulated data was Shimla, followed by Kangra and Mandi. The PWD authorities need to focus themselves more on the black spots and installation of signages besides the gradient of roads and put it in records.

Shri Agnihotri directed to ensure installation of cameras particularly in bordering areas right from Paonta Sahib to Nurpur, which will not only help capturing the overspending but also will be quite fruitful in checking the illegal activities along bordering states. Besides, the laser speed guns to be set up to control rash and drunk and drive.

He also took brief about the crash barriers being installed and directed the officers of all the line departments to visit the accident spots and to the field to conduct inspections.

It was informed in the meeting that the Police department conducted 5.17 lakh challans thereby realizing 19.13 crore from 1 January to July 2024. Besides this, the transport department did 21.565 challans during the corresponding period collecting 4.52 crore. A brief about road network and accident scenario was also discussed in the meeting.

Principal Secretary Transport R.D. Nazeem while briefing on the subject stated that there are sub division committees under the SDM to look into and analyze the accident spots and to report the same as per directions of the Supreme Court. He said that every accident, whether due to mechanical fault or over speed are being properly analyzed by the district road safety committees at sub division level.

Directions were given to all the Deputy Commissioners to conduct regular meetings of district road safety committees.

Director Transport D.C Negi conducted the proceeding of the meeting.

Additional Chief Secretary Revenue Onkar Sharma Secretary, Secretary Digital Technologies and Governance, Abhishekh Jain, ADGP Law and Order Abhishekh Trivedi, Managing Director, HRTC Rohan Chand Thakur, Director Environment Science and Technology DC Rana, Director Education Amarjeet Singh, Director Health and Family Welfare Gopal Beri, Director Medical Education Rakesh Sharma, representatives of NHAI were also present on the occasion amongst others.

आईटीएमएस कैमरों से चार करोड़ जुर्माना वसूला

अमर उजाला ब्यूरो

प्रदेश में 66 जगह स्थापित आईटीएमएस कैमरों से तेज रफ्तार पर कसा शिंकजा

शिमला। प्रदेश में तेज रफ्तार से वाहन चलाने वाले चालकों पर शिकंजा कसने में आईटीएमएस कैमरे कारगर साबित हो रहे हैं।

इस साल अभी तक इन कैमरों की मदद से यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों से करीब 4 करोड़ रुपये जुर्माना वसूला जा चुका है। प्रदेशभर में 66 इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) कैमरे स्थापित किए गए हैं। इन कैमरों को प्रदेश के नेशनल हाईवे, फोरलेन और स्टेट हाईवे पर स्थापित किया गया है। इसका मकसद हाईवे पर तेज रफ्तार वाहन चलाने वालों पर शिकंजा कसना है।

प्रदेश में होने वाले सड़क हादसों की छानबीन में सामने आया है कि चालक की लापरवाही के कारण ज्यादातर हादसे होते हैं। इसमें तेज रफ्तार हादसे का मुख्य होता है। आईटीएमएस कैमरे ऐसे वाहनों की रफ्तार को डिटेक्ट करते हैं और उनके खिलाफ चालान जारी किए जाते हैं।

यह कैमरे इसके अलावा सीट बेल्ट नहीं पहनने वाले चालकों पर भी कार्रवाई करने में सहायक साबित हो रहे हैं। एएसपी टीटीआर नरवीर ठाकुर ने बताया कि सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए पुलिस लगातार काम कर रही है।

अमर उजाला, दिनांक 31 अगस्त 2024

पेज न0.04, कालम–3,4,5

***